

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1, हरदोई।

परिवाद संख्या – 21802/2022

श्रीमती उर्मिला बनाम रामहेत आदि

थाना- बेनीगंज, हरदोई।

दिनांक – 11.09.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि लम्बी अवधि की विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी न तो उपस्थित आ रही है एवं न ही अनुपस्थिति के बाबत कोई प्रार्थनापत्र उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में परिवाद की कार्यवाही अग्रसारित किए जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

-आदेश-

परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं० 1, हरदोई।